न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 155/2023 तारीख रजू:– 21.08.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर
R.A.S.

1. शेरसिंह 2. हरलाल 3. लालसिंह	पिसरान रघुवीरसिंह	जाति जाट, निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज०) ————————सायलान

बनाम

1. दीनासिंह 2. दिलीपसिंह	पिसरान रामसहाय	जातियान जाट, निवासी फुलवाड़ा, हिण्डौनसिटी, जिला करौली, राजस्थान

3. तहसीलदार साहब, तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राजस्थान ————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1. अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय दिंनाक :–11.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलन के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 679 रकवा 7 बीघा 2 बिस्वा स्थित ग्राम बंधकापुरा (फुलवाडा) तहसील हिण्डौन की खातेदारी साबिक रिकॉर्ड में सायलान के पिता रघुवीर बहिस्सा 1/2 एवं गैरसायल नम्बर 01 व 02 के पिता रामसहाय बहिस्सा 1/2 की खातेदारी दर्ज रही है। दौराने सैटलमेंट सायलान के पिता रघुवीर जी एवं गैरसायल संख्या 01 व 02 के पिता रामसहाय जी जो कि आपस में सगे भाई हैं, ने आपसी सहमति एवं काश्त की सहूलियत को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भूमि में सायलान के पिता रघुवीरजी द्वारा अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी गैरसायलान के पिता रामसहाय जी के नाम करवा दी, जिसकी पुष्टि खसरा परिशोधन पत्र संख्या 716 तारीखी 22.08.1984 के अवलोकन मात्र से भली प्रकार से हो रही है। उक्त साबिक खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

679 के दौराने सैटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 1958 रकवा 1.77 हैक्टेयर स्थित ग्राम बंधकापुरा (फुलवाडा) तहसील हिण्डौन कायम किया गया, जिसकी खातेदारी वर्तमान रिकॉर्ड में गैरसायल संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 629 रकवा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 631 रकवा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 20 बीघा स्थित ग्राम बंधकापुरा (फुलवाडा), तहसील हिण्डौन में सायलान के पिता रघुवीर एवं गैरसायल संख्या 01 व 02 के पिता रामसहाय बहिस्सा 1/2 के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड रहे है, जिसके सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा नवीन खसरा नम्बर 1708 रकवा 1.79 है०, 1747 रकवा 2.15 है0, 1748 स्कवा 41 ऐयर, 1749 रकवा 29 ऐयर, 1750 रकवा 61 ऐयर स्थित ग्राम बंधकापुरा (फुलवाडा), तहसील हिण्डौन कायम किये हैं, जिन पर सायलान सम्पूर्ण 1/2 हिस्से पर काबिज व दखील हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 व 02 के पिता आपस में सगे भाई हैं, जिन्होंने आपसी सहमति से काश्त की सहूलियत को दृष्टिगत रखते हुए आराजी वर्णित मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में सायलान के पिता रघुवीर ने अपने हिस्से को अपने भाई रामसहाय को दे दिया, जिसकी ऐवज में रामसहाय द्वारा आराजीयात वर्णित मद नम्बर 03 प्रार्थना पत्र में अपने हिस्से को अपने भाई रघुवीर को दे दिया एवं इसी प्रकार मौके पर भी काबिज काश्त हो गये, लेकिन सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा आराजी वर्णित मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में तो रघुवीर का नाम हजफ कर दिया, किन्तु भूलवश इसकी एवज में आराजीयात वर्णित मद नम्बर 03 प्रार्थना पत्र से रामसहाय के 1/4 हिस्से की खातेदारी को रघुवीर के नाम दर्ज नहीं किया गया था। इस सम्बंध में सायलान के पिता रघुवीर जी एवं गैरसायलान के पिता रामसहाय को पता चला तो उक्त आशय का एक सहमति पत्र भी रघुवीर सिंह व रामसहाय के मध्य दिनांक 23.01.1989 को तकमील तस्दीक किया गया है, जो सायलान के पास सुरक्षित है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि सायलान अपनी आराजीयात वर्णित मद नम्बर 03 प्रार्थना पत्र की सार–संभाल कर रहे है कि दिनांक 29.06.2023 को गैरसायलान एकरायत होकर कहने लगे कि इन भूमियों में हमारा नाम आज भी चल रहा है. इसलिए अब हम इन भूमियों पर कब्जा करेंगे, जिस पर सायलान ने गांव के वरिष्ठजन एवं सम्मानित लोगों को इकट्ठा करके गैरसायलान को समझाने का प्रयास किया, मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है, अगर गैरसायलान अपने उक्त मंसूबों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी दृव्य से किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

संभव नहीं हो सकेगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैंसला दावा गैरसायलान को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 1747 रकवा 2.15 है0, 1748 रकवा 41 ऐयर, 1749 रकवा 29 ऐयर, स्थित ग्राम बंध का पुरा (फुलवाडा) तहसील हिण्डौन की खातेदारी व कब्जेकाश्त के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, उक्त आराजीयात में कोई निर्माण कार्य व बेचान नहीं करें, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें, ना किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायलान प्रतिकूल प्रभाव पड़े। रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

सेवामें जवाब प्रार्थनापत्र अज तरफ गैरसायल सं 1, 2 निम्न प्रकार पेश है:–

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नम्बर 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध निराधार गलत तथ्यों पर उक्त उनवानी दावा न्यायालय हाजा में पेश करना स्वीकार है, लेकिन उक्त दावा हाजा में सायलान को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं 2 में वर्णित आराजी खसरा नं 679 रकबा 7 बीघा 2 विस्वा स्थित ग्राम बंध का पुरा (फुलवाडा) की खातेदारी साबिक मे सायलान के पिता रघुवीर व हिस्सा 1/2 एवं गैरसायल सं 1, 2 के पिता रामसहाय हिस्सा 1/2 दर्ज होना स्वीकार है। उक्त आराजी के अलावा ग्राम बंध का पुरा मे साबिक खसरा नं 629 रकबा 14 बीघा 18 विस्वा एवं खसरा नं 631 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा की भूमि में भी दोनो भाई रघुवीरसिंह व रामसहाय का हिस्सा 1/2 दर्ज होना, ग्राम फुलवाडा में स्थित साबिक खसरा नं 111 रकबा 7 बीघा 7 विस्वा, खसरा नं 237 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा, खसरा नं 373 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, खसरा नं 467/1 रकबा 2 बीघा, खसरा नं 467/2 रकबा 4 विस्वा, खसरा नं 468 रकबा 10 बीघा 8 विस्वा, खसरा नं 615 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा, खसरा नं 621 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 41 बीघा 7 विस्वा रघुबीर सिंह, रामसहाय व गंगासहाय पिसरान मोहनसिंह की खातेदारी में, साबिक खसरा नं 373 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, साबिक खसरा नं 91 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा स्थित ग्राम फुलवाडा रघुबीर सिंह, रामसहाय व गंगासहाय पिसरान मोहनसिंह की खातेदारी में दर्ज रही है। इसके अलावा भी साबिक खसरा नं 10 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, साबिक खसरा नं 108 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, साबिक खसरा नं 338 रकबा 7 विस्वा, साबिक खसरा नं 536 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 17 विस्वा गंगासहाय पुत्र मोहनसिंह की खातेदारी में दर्ज रही है। उक्त संयुक्त आराजियों के संबंध मे सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान तीनों भाई रघुबीर सिंह, रामसहाय व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गंगासहाय पिसरान मोहनसिंह द्वारा सेटलमेन्ट ऑफिसर के समक्ष पेश होकर, आपसी सहमति से बंटवारा कर, एक–दूसरे के पक्ष में आपसी सहमति से हुये बंटवारे के अनुरूप लिखापढी निष्पादित करके विधिवत रूप से संयुक्त आराजियों का बंटवारा करवाया है, जिसके अनुरूप ही सेटलमेन्ट कर्मियों द्वारा खसरा परिशोधन पत्र तैयार करके, साबिक खसरा नं 679 से बनाये गये नवीन खसरा नं 1958 रकबा 1.77 है0 स्थित ग्राम बंध का पुरा की खातेदारी रामसहाय पुत्र मोहनसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड की गई है। उक्त आराजी पर सेटलमेन्ट ऑपरेशन के समय से ही पहले गैरसायल सं 1, 2 के पिता रामसहाय और उनकी मृत्यु के बाद गैरसायल सं 1, 2 काबिज व दखिल रहकर साल दर साल फसल कास्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं।

जवाब प्रार्थनापत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं 3 में वर्णित आराजी साबिक खसरा नं 629, 631 की 20 बीघा ग्राम बंध का पुरा (फुलवाडा) मे सायलान के पिता रघुवीर व गैरसायल सं 1, 2 के पिता रामसहाय संयुक्त रूप से हिस्सा 1/2 के खातेदार दर्ज होना स्वीकार है। उक्त आराजी के नवीन खसरा नं 1708, 1747, 1748, 1749, 1750 वादसेटलमेन्ट कायम किया जाना स्वीकार है, जिसमे सायलान एवं गैरसायल सं 1, 2 समान रूप से हिस्सा 1/4–1/4 दर हिस्सा 1/2 के खातेदार कास्तकार हैं, जिस पर इसी अनुरूप सायलान एवं गैरसायल सं 1, 2 काबिज व दखिल हैं, उक्त आराजी में सायलान सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 के ना तो खातेदार है ना ही काबिज व दखिल हैं।

जवाब प्रार्थनापत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं 4 मे दर्ज तथ्यों मे से गैरसायल सं 1, 2 के पिता रामसहाय एवं सायलान के पिता रघुवीर सिंह एवं गंगासहाय आपस मे सगे भाई होना स्वीकार है, उक्त तीनों भाईयों ने कास्त की सुविधा के लिये एक–दूसरे के नाम चली आ रही आराजियों को अपने–अपने हिस्से के अनुरूप सेटलमेन्ट ऑपरेशन से पूर्व ही आपस में बांट रखा था, आपसी सहमति से भाईयों के बीच हुये बंटवारे मे आराजी वर्णित मद नं 2 प्रार्थनापत्र गैरसायल सं 1, 2 के पिता रामसहाय के कब्जे हक व अधिकार में दी गई, जिसके एवज मे गैरसायल सं 1, 2 के पिता रामसहाय ने आराजी वर्णित मद नं 2 प्रार्थनापत्र अपने भाई रघुवीर को नहीं दी थी, ना ही काबिज करवाया था, आराजी वर्णित मद नं 2 प्रार्थनापत्र का रकबा 7 बीघा 2 विस्वा एपं आराजी वर्णित मद नं 2 प्रार्थनापत्र मे रघुवीर व रामसहाय का हिस्सा 1/2 यानी 10 बीघा था, यानी दोनों आराजियों मे रामससहाय व रघुवीर का कभी भी समान हिस्सा नहीं रहा है, आराजी वर्णित मद नं 2 प्रार्थनापत्र मे सायलान के पिता रघुवीर का हिस्सा 3 बीघा 11 विस्वा रहा है, जबकि आराजी वर्णित मद नं 2 प्रार्थनापत्र में गैरसायल सं 1, 2 के पिता रामसहाय का हिस्सा 5 बीघा रहा है, इसलिये रामसहाय द्वारा 5 बीघा भूमि देकर, 3 बीघा 11 विस्वा भूमि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रघुवीर से लेने का ना तो कोई व्यवहारिक रूप से औचित्य है, ना ही ऐसा कभी हुआ है, आराजी वर्णित मद नं 2 प्रार्थनापत्र मे रघुवीर ने अपना 3 बीघा 11 विस्वा हिस्सा रामसहाय को देकर ग्राम बंध का पुरा एवं फुलवाडा में स्थित रही अन्य संयुक्त आराजियों में बंटवारे के समय ही सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान भूमि प्राप्त कर ली थी, आराजी वर्णित मद नं 2 प्रार्थनापत्र दोनों भाईयों ने शामिल मे ही रखी, जो आज भी शामिल मे है। आराजी वर्णित मद नं 2 प्रार्थनापत्र में गैरसायल से 1, 2 के नाम दर्ज आराजी को सायलान के नाम दर्ज किया जाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है, गैरसायल से 1, 2 के पिता रामसहाय एवं सायलान के पिता रघुवीर के बीच आराजी मुतजिका मद नं 3 प्रार्थनापत्र मे रामसहाय के हिस्सा 1/4 सायलान के पिता रघुवीर के हक मे करवाने के संबंध में कोई सहमति पत्र दिनांक 23.01.1989 को निष्पादित नहीं किया गया है, तथाकथित सहमति पत्र दिनांक 23. 01.1989 कूटरचित व फर्जी है, अपर्याप्त स्टाम्प पर अनरजिस्टर्ड है, जो की साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। उक्त कूटरचित व फर्जी तथाकथित सहमति पत्र से सायलान को आराजी मुतजिका मद नं 3 प्रार्थनापत्र में गैरसायल सं 1, 2 के हिस्सा 1/4 के संबंध मे कोई हक, अधिकार पैदा नहीं होते हैं, तथाकथित कूटरचित सहमति पत्र की प्रति प्राप्त होते ही गैरसायल सं 1, 2 द्वारा सायलान के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जावेगी।

जवाब प्रार्थनापत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र के मद नं 5 मे दर्ज तथ्य गलत हैं, स्वीकार नहीं है, दिनांक 29.06.2023 को आराजी मुतजिका मद नं 3 प्रार्थनापत्र पर गैरसायल सं 1, 2 द्वारा कब्जा करने की कोई बात नहीं की, उक्त आराजी के हिस्सा 1/4 पर गैरसायल से 1, 2 अपने पिता के समय से ही काबिज व दखल चले आ रहे हैं। इसलिये उन्हें अब कब्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सायलान ने उक्त दिनांक को ग्राम के किसी वरिष्ठ या सम्मानित व्यक्तियों के जरिये गैरसायल सं 1, 2 को समझाने का कोई प्रयास नहीं किया, गैरसायल सं 1,2 उक्त आराजी में हिस्सा 1/4 के खातेदार कास्तकार हैं, जिनके कोई गैरकानूनी मंसूबे नहीं हैं। बल्कि सायलान बिना किसी हक व अधिकार के गैरसायल से 1, 2 के हिस्से की आराजी पर झूठी मुकदमेबाजी करके कब्जा करना चाहते हैं, जिसमे यदि सायलान सफल हो गये तो गैरसायल सं 1, 2 को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ती द्रव्य में किया जाना संभव नहीं होगा। सायलान का कोई प्रथम दृष्टया केश प्रमाणित नहीं है।

जवाब प्रार्थनापत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि गैरसायलान वादग्रस्त भूमि के खातेदार कास्तकार एवं काबिज दखिल हैं, वादग्रस्त भूमि के संबंध में सही व सम्पूर्ण बंटवारे के तथ्यों को छिपाकर बंटवारा होने के करीब 40 वर्ष बाद सायलान द्वारा हस्तगत मुकदमा विधि विरूद्ध रूप से पेश किया है, सायलान 40 वर्ष पूर्व हुये बंटवारे उन्हें प्राप्त खसरों की भूमि को मुकदमे से प्रथक रखकर, गैरसायलान को बंटवारे मे प्राप्त भूमि के सबंध

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

में मुकदमा का स्थगन प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमे यदि सायलान सफल हो गये तो गैरसायलान को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ती दृव्य मे किया जाना संभव नहीं होगा।

जवाब प्रार्थनापत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

उज्रात मजीद :–

जवाब प्रार्थनापत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि सायलान के स्व० पिता रघुवीर एवं गैरसायल से 1, 2 के स्व. पिता रामसहाय एवं उनके सहोदर भाई गंगासहाय पुत्र मोहनसिंह जाट निवासी फुलवाडा को ग्राम फुलवाडा एवं ग्राम बंध का पुरा मे अपने पिता मोहनसिंह से करीब 108 बीघा कृषि भूमि विरासत मे प्राप्त हुई थी, स्व० मोहनसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी कुछ आराजी को अपने पुत्र गंगासहाय के नाम, कुछ भूमि को अपने रघुवीर व रामसहाय के नाम करवाया हुआ था,स्व० मोहनसिंह जी के फौत हो जाने पर उनके तीनों पुत्रों रघुवीर, रामसहाय, गंगासहाय द्वारा विरासत में प्राप्त उक्त आराजी को कास्त की सुविधा के लिये आपस में बांट लिया, कुछ आराजी को तीनों भाईयों ने, कुछ आराजी को दो भाईयों ने कास्त की सुविधा के लिये शामलाती रखा, वर्ष 1984 में तहसील हिण्डौन मे सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान तीनों भाईयों द्वारा आपसी सहमति से जिन खसरों की भूमि को किसी एक भाई के हिस्से कब्जे मे दिया, उनके संबंध मे सेटलमेन्ट ऑफिसर के समक्ष आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करके उस भाई के नाम करवा दी, और जिन भूमियों को दो भाईयों ने या तीनों भाईयों ने कास्त की सुविधा के लिये शामलाती रखा, उन भूमियों को वाहमी बंटवारे मे शामिल नहीं किया, तीनों भाईयों के बीच सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान हुये बाहमी बंटवारे एवं निष्पादित किये गये के आधार पर साबिक खसरा नं 679 हाल खसरा नं 1958 स्थित ग्राम बंध का पुरा की भूमि को सायलान के पिता रामसहाय के कब्जे, हक व अधिकार मे दिया गया, एवं साबिक खसरा नं 629 एवं 631 जिसके हाल खसरा नं 1708, 1747, 1748, 1749, 1750 स्थित ग्राम बंध का पुरा कायम किये गये हैं की भूमि को सायलान के पिता रघुवीर एवं गैरसायल सं 1,2 के पिता रामसहाय द्वारा कास्त की सुविधा के लिये शामलाती रखा, इसके अलावा भी ग्राम फुलवाडा में स्थित हाल खसरा नं 465 की भूमि को रामसहाय एवं गंगासहाय ने, खसरा नं 527, 528, 529, 534 की भूमि ग्राम फुलवाडा को रामसहाय व रघुवीर ने शामलाती रखा, इसी प्रकार ग्राम फुलवाडा की भूमि खसरा नं 107, 108, 1026, 308, 429/2472, 521, 577, 664 की भूमि को तीनों भाई रामसहाय, रघुवीर व गंगासहाय ने कास्त की सुविधा के लिये शामलाती रखा, शेष अन्य शामलाती भूमि को तीनों भाईयों ने समान रूप से खेतों की कीमत का अंकन करते हुये आपसी सहमति से बांटकर अलग–अलग करवाया है, उक्त तथ्य की जानकारी सेटलमेन्ट ऑपरेशन के समय से ही

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तीनों भाईयों को और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान को स्पष्ट रूप से रही है, फिर भी सायलान द्वारा साबिक खसरा नं 629, 631 ग्राम बंध का पुरा की भूमि के कायम किये गये नवीन खसरा नं 1708, 1747, 1748, 1749, 1750 स्थित ग्राम बंध का पुरा जिसमें की गैरसायल सं0 1, 2 का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है, का खातेदार घोषित होने के लिये सायलान द्वारा बिना कोई हक व अधिकार के हस्तगत वाद बिना कब्जे के पेश कर दिया है, जो काबिले खारिज है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2069–72 किता 02 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस साबिक नम्बरान, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2038–41 किता–4, फोटो प्रति नकल भू–प्रबन्ध विभाग क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस सम्बत् 1982, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2034–37, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2038–41, फोटो प्रति नकल खसरा परिशोधन सम्बत् 2041, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2073–76 मय नक्शा ट्रेस पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1708 रकबा 1.79 है0, 1747 रकबा 2.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.94 है0 वाके ग्राम बंध का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमरसिंह पुत्र प्रभू हि0 1/112, इन्दरबाई पुत्री प्रभू हि0 1/112 जातियान जाटव नि0 लोंगटपुरा हाल फुलवाडा खातेदार, दिलीप पुत्र रामसहाय हि0 1/8, दीना पुत्र रामसहाय हि0 1/8 जाति जाट सा0देह खातेदार, पतराम पुत्र हीरा हि0 1/14, परमा पुत्र हीरा हि0 1/14, भगवानी पुत्री प्रभू हि0 1/112, भरतलाल पुत्र परमा हि0 1/14, भूरसिंह पुत्र प्रभू हि0 1/112, भरोसी पुत्र प्रभू हि0 9/112, रमेश पुत्र प्रभू हि0 1/112, रेशम पुत्री प्रभू हि0 1/112, राजपाल पुत्र सोनपाल हि0 1/28, राजूलाल पुत्र प्रभू हि0 1/112, रामा पुत्र मूला हि0 1/14, सुक्को पत्नि सोनपाल हि0 1/28

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जातियान जाटव नि0 लोंगटपुरा हाल फुलवाडा खातेदार, लालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह हि0 1/12, शेरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह हि0 1/12, हरलालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह हि0 1/12 जातियान जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1748 रकबा 0.41 है0, 1749 रकबा 0.29 है0, 1750 रकबा 0.61 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.31 है0 वाके ग्राम बंध का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी दिलीप पुत्र रामसहाय हि0 1/8, दीना पुत्र रामसहाय हि0 1/8, फेलू पुत्र चिरमोली हि0 1/12, रामस्वरूप पुत्र चिरमोली हि0 1/12, लालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह हि0 1/12, शेरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह हि0 1/12, हरलालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह हि0 1/12, सुबुद्धि पुत्र रामचंद हि0 1/4 जातियान जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

सायलान के द्वारा प्रस्तुत नोन ज्यूडिशल स्टाम्प कीमती 5/–रूपया दिनांक 20.07.1984 पर लिखावट लिखी गई है कि यह स्टाम्प मैं गंगासहाय पुत्र श्री मोहनसिंह जाति जाट निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन वाले ने लिख दिया कि मेरी आराजी खसरा नं0 10 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 338 रकबा 7 बिस्वा, 536 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल चार किता रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी मेरे नाम से हैं। उसका हमने अपने सगे दो भाईयों के नाम भी अलग अलग बांट रखा है क्योंकि हम सगे तीन भाई हैं और तीनों ने ही हिस्सा बराबर अलग अलग बांट रखा है। परन्तु रिकार्ड में मुझ अकेले के नाम ही ये नम्बर चल रहे हैं। इसलिए हमारे तीनों भाईयों के नाम ही दर्ज होना बाजिव है और मौके पर भी काश्त कर रहे हैं। अतः मैं अपनी राजीखुशी से अपठनीय सिंह व रामसहाय पुत्र मोहनसिंह के नाम दर्ज कराना चाहता हूँ इसलिए मुझे कोई उजर नहीं है क्योंकि गलती से मेरे दो भाईयों का नाम दर्ज करना रह गया था, जो अब दर्ज होना उचित है। सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे। जिस पर सजरा अंकित है जिसमें मोहनसिंह के तीन लडके रघुवीरसिंह, रामसहाय, गंगासहाय अंकित है तथा उक्त लिखावट पर गंगासहाय के हस्ताक्षर हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2038–41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 111, 137, 373, 467/1, 467/2, 468, 615, 621 कुल किता 8 कुल रकबा 41 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रघुवीरसिंह , रामसहाय, गंगासहाय पि0 मोहनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2038–41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 629, 631 कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदारी गजेन्द्रसिंह पुत्र जीवनसिंह हि0 1/2, रघुवीरसिंह , रामसहाय पि0 मोहनसिंह हि0 1/2 जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2038–41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 679 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रघुवीर, रामसहाय पि0 मोहनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल भू–प्रबन्ध विभाग क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र के अनुसार ग्राम फुलवाडा की विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बरान से दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :–

साबिक खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
629	14 बीघा 18 बिस्वा	1747	2.15
631	5 बीघा 2 बिस्वा	1748	0.41
631	5 बीघा 2 बिस्वा	1749	0.29

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 629, 631 कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गजेन्द्रसिंह पुत्र जीवनसिंह हि0 1/2, रघुवीरसिंह , रामसहाय पि0 मोहनसिंह हि0 1/2 जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 629 से नवीन खसरा नम्बर 1747 रकबा 2.15 है0 तथा साबिक खसरा नम्बर 631 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 1748 रकबा 0.41 है0, 1749 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ग्राम फुलवाडा में से ग्राम बंध का पुरा पृथक से गांव बनाया गया। इसलिए साबिक खसरा नम्बर 629 से नवीन खसरा नम्बर 1747 रकबा 2.15 है0 तथा साबिक खसरा नम्बर 631 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 1748 रकबा 0.41 है0, 1749 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम फुलवाडा के स्थान पर नवीन ग्राम बंध का पुरा में उक्त भूमि चली जाना दौराने बहस अवगत कराया है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में सायलान का 1/4 हिस्सा मुताविक राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार हैं। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं तथा सुरक्षित हैं। साबिक व वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में यदि विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम नहीं रखी गई तो पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद एवं मुकदमेंबाजी बढने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

होती है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1747 रकबा 2.15 है0, 1748 रकबा 0.41 है0, 1749 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम बंध का पुरा तहसील हिण्डौन के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/9/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)